

JH Reg. (A/1000)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022

जयपुर दिनांक 20-11-2024


22/11/24

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस याबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कोलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कोलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कोलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय, कपासन जिला चित्तौड़गढ़	कपासन	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला न्यायालय, कुम्भेर जिला भरतपुर	कुम्भेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला न्यायालय, रायतसर जिला झुंझनगढ़	रायतसर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला न्यायालय, बाजुवाला जिला बीकानेर	बाजुवाला	स्थानीय क्षेत्राधिकार
5	अपर जिला न्यायालय, बालेसर जोधपुर जिला, जोधपुर	बालेसर	स्थानीय क्षेत्राधिकार

राज्यपाल के आदेश से,


20.11.24
(राजेंद्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

No. Gen./II/15/2024/1696

Date: 21.11.2024

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Registrars/OSD, RHC Jodhpur/Bench Jaipur (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website),
2. concerned District & Sessions Judges
3. concerned courts
4. concerned CJMs,
5. AOJ Conf./ Statistics/ Budget/ Building/ SC Estt./ RJS Estt./ computer section.


21/11/2024
REGISTRAR (RULES)